



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक-30.08.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 260/24 धारा 137(2) BNS में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 260/24 धारा 137(2) BNS में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग में अपहृता को थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 26-08-2024 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहरुख पुत्र शाकिर निवासी मौहल्ला शेखपुरा भट्टी बस्ती कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना खेकड़ा ।
2. का0 1048 मुनेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 30.08.2024

थाना दोघट पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध तमन्चे के साथ वायरल वीडियो के आरोपी को मय अवैध तमन्चे व कारतूस के किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का अवैध तमन्चे के साथ वीडियो वायरल हुआ था । जिसका थाना दोघट पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया एवं व्यक्ति को चिन्हित किया गया ।


कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध तमन्चे के साथ वायरल वीडियो के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से वीडियो में दिखाया गया अवैध तमन्चा मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारो का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –



आशू पुत्र बिलेन्द्र निवासी ग्राम तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण—

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा थाना दोघट ।
- 2-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट ।
- 3-एचजी 400 रविन्द्र सिंह थाना दोघट ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनाँक 30.08.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-



संजय उर्फ विशाल पुत्र राजेन्द्र सिंह चौहान निवासी 445 तोपखाना राज मौहल्ला लाल कुर्ती थाना लाल कुर्ती जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 74 मलखान सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- एचजी 276 सतपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



**प्रेस नोट
थाना बडौत**

दिनांक 30.08.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

उमरफान पुत्र जोधा निवासी बाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 19 तरूण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-एचजी 397 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक-30.08.24

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 131/24 धारा 333/127/70(2)/61(2)/3(5) बीएनएस व 4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कृत कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 131/24 धारा 333/127/70(2)/61(2)/3(5) बीएनएस व 4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सचिन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-व०उ०नि० श्री सत्येन्द्र सिंह सिद्धू थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2- उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

